प्रेस विज्ञप्ति

27.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने उत्तर प्रदेश में बंद चीनी मिलों के धोखाधड़ीपूर्ण विनिवेश के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 995.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में मोहम्मद इकबाल, पूर्व सदस्य, विधान परिषद (एमएलसी) के नियंत्रणाधीन मेसर्स मैलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डायनेमिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत 03 बंद चीनी मिलों के खुली भूमि के टुकड़े, इमारतें और मशीनरी शामिल हैं। सभी चीनी मिलें बैतालपुर, भटनी और शाहगंज उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद इकबाल और उनके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी से विनिवेश प्रक्रिया के जरिए कई चीनी मिलों का अधिग्रहण किया।

ईडी की जांच में विनिवेश प्रक्रिया में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन और गैर-प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शामिल है। जांच में यह भी पता चला कि चीनी मिलों का बाजार मूल्य उन कीमतों से कहीं अधिक था, जिस पर उन्हें बेचा गया था। इन चीनी मिलों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया धन मोहम्मद इकबाल का अवैध धन था, जिसे मेसर्स वी.के. हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से असुरक्षित ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था, जिसे विभिन्न फर्जी संस्थाओं के माध्यम से भेजा और फैलाया गया था।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि चीनी मिलों और उनसे संबंधित भूमि परिसंपत्तियों को विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से खरीदा गया था, जिनके नाम मेसर्स मैलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डायनेमिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड थे, जिसके बाद इन कंपनियों की शेयरधारिता को रणनीतिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे अंततः मोहम्मद इकबाल और उनके करीबी सहयोगियों/परिवार के सदस्यों के पास नियंत्रण और भी अधिक स्थापित हो गया।

ईडी ने इस धोखाधड़ी वाले विनिवेश से जुड़े आपराधिक आय (पीओसी) का पता लगा कर 995.75 करोड़ रुपये मूल्य की इन अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

आगे की जांच जारी है।